

## उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 10/2021-22

पादू हेम्ब्रम.....अपीलकर्ता।

बनाम

विप्लव कुमार यादव.....विपक्षी

आदेश

24.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-04/2020-21 में पारित आदेश दिनांक-01.03.2021 के विरुद्ध दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा के प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :-

1. मौजा निपनिया प्रधानी मौजा है। कृष्ण प्रसाद महतो मौजा के अंतिम प्रधान थे जिनकी मृत्यु दिनांक-27.05.2020 को हो चुकी है।

2. अंतिम प्रधान के मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्ता एवं उत्तरकारी द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया जिसमें अंचल अधिकारी मसलिया के जाँच प्रतिवेदन मांग की गई।

3. उत्तरकारी पूर्व प्रधान के पुत्र है एवं मौजा-केन्दघाटा में निवास करते हैं जो प्रधानी मौजा निपनिया से 3 कि0मि0 की दूरी पर है। इसके पश्चात् भी उत्तरकारी को अनुमंडल पदाधिकारी दुमका द्वारा संथाल परगा कास्तकारी अधिनियम धारा-6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो संथाल परगना कास्ताकारी (पूरक) रूल्स 1950 के सिउड्ल-V के अनुकूल नहीं है।

✓

अपीलकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क निम्न प्रकार है :-

1. मौजा के प्रधान चुड़का हेमम को प्रधान पद से बरखास्त करने के पश्चात् उत्तरकारी के दादा नरेश चन्द महतो को पी0ए0 वाद सं0-63/64/1959-60 में मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

2. उनके मृत्यु के पश्चात् उत्तरकारी के पिता कृष्ण प्रसाद महतो को माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के C.W.J.C Case No 755/1978 के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

3. उनका घर मौजा निपनिया में भी है। एवं वही रहते है।

उनके द्वारा अपने समर्थन में :-

1. पी0ए0 केस नं0-63/64/1959-60 में पारित आदेश की सच्ची प्रति की छायाप्रति।
2. माननीय उच्च न्यायालय के C.W.J.C Case No 755/1978 में पारित आदेश की सच्ची प्रति की छायाप्रति।
3. आधार कार्ड,
4. वोटर कार्ड
5. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं
6. मौजा निपनिया की वोटर लिस्ट की छायाप्रति की दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश निम्न प्रकार है :-

अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा पत्रांक-508/रा0 दिनांक-31.08.2020 एवं पत्रांक-46/रा0 दिनांक-08.02.2021 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उत्तरकारी भूतपूर्व प्रधान का एकलौता पुत्र है।

ये मौजा निपनिया के खतियानी रैयत है एवं मौजा केन्दघाटा में इनका निवास स्थान है। प्रधानी मौजा निपनिया से इसका निवास स्थान मौजा केन्दघाटा की दूरी लगभग 03 कि०मी० है। उत्तरकारी केन्दघाटा में सपरिवार निवास करते हैं। अचल अधिकारी, मसलिया के पत्रांक-46/रा० दिनांक- 08.02.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उत्तरकारी का आवसीय मकान कुसुमघाटा पंचायत के अन्तर्गत केन्दघाटा गाँव में है। मतदाता सूची के क्रमांक KKD5460043 में विप्लव कुमार यादव का नाम दर्ज है। मौजा निपनिया में भी उत्तरकारी का एक मकान (खतियान) है जिसमें C.S.P (ग्राहक सेवा केन्द्र) भाड़े पर दिया गया है। जाँच के समय उपस्थित ग्रामीण रैयतो द्वारा बताया गया कि विगत 25(पच्चीस) दिनों से उत्तरकारी एवं उनकी माँ मौजा निपनिया में निवास कर रहे हैं।

ग्रामीण रैयतों के द्वारा उन्हें प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु ग्राम समा के माध्यम से सहमति जताई है। इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संधाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा-6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

### निष्कर्ष

संधाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा-6 के अन्तर्गत उत्तराधिकारी के हैसियत से प्रधान पद पर नियुक्ति करने का प्रावधान है। प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संधाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के सिउडल-V में दिशा निर्देश का उल्लेख किया गया है :-

Sec - 6 when the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.



## Schedule V

### Appointment of Headman :-

The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

Babulal Hembrom Vrs Bihar 1998 (1) PLJR 43 : 1998  
(1) All PLR 227 (Pat) में पारित आदेश में भी इस तथ्य के संबंध में निम्न प्रकार उल्लेख है :-

Santhal Paraganas Tenancy Manual, 1911 (page 291 to 299)- Hereditary right in appointment-Affirmation by authority as village headman-Resident in village necessary to discharge his duties-Short visit by headman illegal-Appointment on hereditary right of village headman illegal-Direction to initiate proceeding for appointment of village headman-From a perusal of the headman's duties it is self-evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on Government postings and came to the village only intermittently. The headman has, in fact, a long list of duties which can be duty discharged only by a person living the concerned village. Thus, the results of his appointment would be that he would be enjoying the social status and prestige and he and his family members would be deriving the many benefits attached to that office but he would not be discharging most of the duties of the headman. In the light of the above discussion, the Court was of the considered view that only a person regularly residing in the village can be considered to be suitable candidate for the office of the headman and respondent No. 5 notwithstanding his hereditary claim, is unfit for the office of headman for the simple reason that he is not living there regularly. In the Court's opinion therefore the authorities acted erroneously in allowing his claim simply on the basis of hereditary right and directing for his appointment as headman. It has been found that he was not fit for the office and therefore, his appointment as headman was bad and illegal. Before concluding it is to be observed that it has been found that the petitioner too has no hereditary claim to the office because his grandfather was dismissed form the office of headman.


The Apex Court accordingly direct the Deputy Commissioner, Dumka to imitate preceding for appointment of village headman for the village in question as provided under Chapter,, read with Schedule 5 of the Act. In case 2/3<sup>rd</sup> of the Jamabandi raiyats do not give their consent for appointment of a headman, the village may be converted into a khas village.


### आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी प्रधानी मौजा में निवास नहीं करते है बल्कि 03(तीन) कि०मी० दूर केन्दघाटा मौजा में निवास करते है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी को प्रधानी मौजा निपनिया का प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) के रूल्स 1950 के शिड्यल V के अनुकूल नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि मौजा के प्रधान की नियुक्ति संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के नियमानुसार किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त,  
दुमका।

  
उपायुक्त,  
दुमका।

27.04.31-01-22